




बिहार सरकार
समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)
(जिला बाल संरक्षण इकाई)
adcpukaimur@gmail.com

विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, कैमूर में संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन
(विज्ञापन संख्या-SAA- 02 / 2022)

राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार पटना (समाज कल्याण विभाग) के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, कैमूर द्वारा संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संचालित 0-6 वर्ष आयु वर्ग के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के आवासन हेतु विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, कैमूर में रिक्त पदों पर संविदा के आधारित अस्थायी पदों के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं-

Sl. No	Post	No. of post	Qualification & Experience	Desired Competencies	Age	Salary Rs. Per month . (consolidated)
1.	Doctor (Part time)	01	MBBS	On referral	-	Rs. 7,500/-
2-	Nurse	01	Intermediate/Diploma in Nursing from a Government/Indian Nursing Council recognized Nursing Institute. A Minimum of 1 Year experience in a hospital/health facility.	Preference given to candidates having experience of working with children with disabilities/mental disability/HIV+children	Up to 45 years	9000/-

1. उक्त पद पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार 30 अंकों का होगा।
2. उक्त पद पर नियोजन हेतु इच्छुक एवं सुयोग्य अभ्यर्थी कैमूर जिला के वेबसाईट <https://kaimur.nic.in> से आवेदन पत्र डाउन लोड कर प्राप्त करेंगे।
3. आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अनुभव, जाति, आवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आई0 कार्ड आदि) का स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति तथा 02 पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र निर्बंधित डाक के माध्यम से या हाथों-हाथ दिनांक- 30.04.2022 तक अपराहन 5:00 बजे तक सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, समाहरणालय परिसर कैमूर के पते पर समर्पित करें।
4. साक्षात्कार की सूचना सुयोग्य अभ्यर्थियों को दूरभाष एवं E-MAIL के द्वारा दी जाएगी साथ ही कार्यालय के सूचना पट्ट एवं जिले के वेबसाईट पर भी प्रकाशित किया जाएगा।
5. उक्त पद पर नियोजित कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे तथा उन्हें सरकारी सेवकों को प्राप्त किसी भी प्रकार की सुविधाएं देय नहीं होगा।
6. नियोजित कर्मियों की सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन्हें कभी भी पद से हटाया जा सकता है।
7. उक्त पद पर चयनित अभ्यर्थी को नियोजन के समय विहित प्रपत्र में एकरारनामा, शपथ पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
8. सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने या अन्य कारणों से यदि संस्थान का संचालन बंद हो जाता है तो नियोजित कर्मी का नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा।
9. किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से विज्ञापन को निरस्त करने की शक्ति जिला पदाधिकारी, कैमूर के पास सुरक्षित रहेगा।


जिला पदाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)।